



2026:AHC: 57476

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 480/2026

फैजल नवी उर्फ फैजुल नवी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	: विकास श्रीवास्तव
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास श्रीवास्तव के ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री सत्यम श्रीवास्तव, साथ ही राज्य-विपक्षी पक्षकार की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री नीरज कुमार शर्मा को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना बारादरी, जिला बरेली में पंजीकृत अपराध संख्या 1146 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 190, 191(2), 191(3), 124(2), 121, 125, 352, 351(3), 109, 299, 223, 61(2) और सी.एल.ए. अधिनियम, 1932 की धारा 7 के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान वाद में झूठा फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक सहित 28 नामजद व्यक्ति और 200-250 अज्ञात व्यक्ति नामित हैं। आवेदक को एक अस्पष्ट और सामान्य भूमिका सौंपी गई है। कथित घटना में, दो व्यक्तियों को चोटें आईं, जो प्रकृति में साधारण पाई गईं। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। सह-अभियुक्त यूनस को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 7333 वर्ष 2026, यूनस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 26.02.2026 के माध्यम से जमानत दे दी गई है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के प्रस्तर- 26 और 29 में स्पष्ट किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है। आवेदक 28.09.2025 से कारागार में है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है। उनका तर्क है कि आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त हैं।

5- प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के बाद, इस न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि आवेदक को एक अस्पष्ट और सामान्य भूमिका सौंपी गई है। कथित घटना में, दो व्यक्तियों को चोटें आईं, जो प्रकृति में साधारण पाई गईं। इस स्तर पर आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। सह-अभियुक्त यूनस को इस न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है।

6- जहाँ तक आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त का संबंध है, राज्य का यह मामला नहीं है कि आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या अन्यथा विवेचना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, या कि वह विचारण से पूर्व या उसके दौरान साक्षीगण को डरा-धमका सकता है। राज्य ने ऐसी कोई सामग्री भी प्रस्तुत नहीं किया है कि आवेदक ने अतीत में विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया हो। इस न्यायालय की राय में, यदि अभियुक्त अन्यथा जमानत का हकदार पाया जाता है, तो उसे केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब अभियुक्त को जमानत से इनकार करने के लिए आपराधिक पूर्ववृत्त के आधार पर कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं दिखाई गई हों। इसलिए, न्यायालय आवेदक को केवल इस आधार पर जमानत देने से इनकार करना उचित नहीं समझता कि उसका आपराधिक पूर्ववृत्त था।

7- अश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एससीसी 446 में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर-30 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि अभियुक्त एक हिस्ट्री-शीटर है, तो हमें यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने कहा है कि एक हिस्ट्री-शीटर कभी भी जमानत का हकदार नहीं है। लेकिन, यह ध्यान में रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसका संबंध उस अपराध की प्रकृति से है, जिसके संबंध में उसे दर्ज किया गया है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8- प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, 2020 (11) एससीसी 648 के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक वादों का लंबित होना अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

9- इसके अलावा, आवेदक पांच माह से अधिक समय तक कारागार में रहा है और विचारण के जल्द निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए, वाद के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

10- पूर्वोक्त वाद में शामिल आवेदक- फैजल नवी उर्फ फैजुल नवी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो भारी प्रतिभूतियां (आपराधिक इतिहास के दृष्टिगत) प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए कि वह:

(i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,

(iii) अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा।

11- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

19 मार्च, 2026

एसकेटी/-